

न्यायालय की कार्यवाही पर मीडिया को रपिर्ट करने का अधिकार : सर्वोच्च न्यायालय चर्चा में क्यों?

हाल ही में **सर्वोच्च न्यायालय (SC)** ने मीडिया को न्यायिक कार्यवाही के दौरान टपिपणियों की रपिर्टिंग करने से रोकने के लिये **भारतीय चुनाव आयोग (ECI)** द्वारा दायर की गई याचिका को खारजि कर दिया है।

- सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि मीडिया को अदालती सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों द्वारा की गई चर्चाओं और मौखिक टपिपणियों की रपिर्टिंग से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है।
- सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, अदालती सुनवाई का मीडिया कवरेज़ **प्रेस की स्वतंत्रता का हिस्सा** है, इसका नागरिकों के सूचना के अधिकार तथा न्यायपालिका की जवाबदेही पर भी असर पड़ता है।

प्रमुख बंदि

वाक्-स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता:

- न्यायाधीशों और वकीलों के बीच **अदालतों में मौखिक आदान-प्रदान सहित** अदालती कार्यवाही की यथासमय रपिर्ट करना, **वाक्-स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा** है।
 - भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 19** के तहत लिखित और मौखिक रूप से अपना मत प्रकट करने हेतु **वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता** प्रदान की गई है।
- प्रौद्योगिकी के आगमन के साथ, विभिन्न **सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से रपिर्टिंग का प्रसार** हुआ है और इन मंचों से लोगों को सुनवाई के संदर्भ में व्यापक स्तर पर रियल-टाइम अपडेट प्राप्त हुए हैं। यह **वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक वसितार** है जो मीडिया के लिये भी उपलब्ध है।
 - यह खुली अदालत की अवधारणा का एक **आभासी (virtual) वसितार** है।
- **बाल यौन शोषण और वैवाहिक मुद्दों संबंधी मामलों को छोड़कर**, अन्य मामलों में मुक्त प्रेस की अवधारणा को अदालती कार्यवाही तक वसितारित किया जाना चाहिये।

न्यायिक अखंडता:

- विभिन्न मुद्दों और घटनाओं के साथ-साथ न्यायालय की कार्यवाही जो कि सार्वजनिक डोमेन के हिस्सा है पर रपिर्ट करने तथा उन्हें प्रसारित करने के **मीडिया के अधिकार** ने न्यायपालिका की अखंडता को बढ़ाया है।

ओपन कोर्ट अथवा खुली अदालत में सुनवाई की व्यवहार्यता:

- खुली अदालत यह सुनिश्चित करती है कि **न्यायिक प्रक्रिया सार्वजनिक जाँच के अधीन** है जो **पारदर्शिता और जवाबदेही** को बनाए रखने के लिये महत्वपूर्ण है और लोकतांत्रिक संस्थाओं के कामकाज में पारदर्शिता लोगों में विश्वास स्थापित करने के लिये महत्वपूर्ण है।
- एक खुली अदालत प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि न्यायाधीश कानून के अनुसार और ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं।
- अदालतों के समक्ष आने वाले मामले **वधायिका और कार्यपालिका की गतिविधियों के बारे में सार्वजनिक जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत** हैं।
- खुली अदालत एक शैक्षिक उद्देश्य के रूप में भी कार्य करती है। न्यायालय नागरिकों को यह जानने के लिये एक मंच बन जाता है कि **कानून का व्यावहारिक अनुप्रयोग उनके अधिकारों पर क्या प्रभाव डालता है**।

भाषा:

- शीर्ष न्यायालय ने कहा कि **न्यायाधीशों को खुली अदालत में बिना सोचे-समझे (Off-the-Cuff) टपिपणी** करने में सावधानी बरतने की आवश्यकता पर जोर देना चाहिये, क्योंकि इनकी गलत व्याख्या अतसंवेदनशील हो सकती है।
- खंडपीठ द्वारा प्रयुक्त भाषा और नरिणियों की भाषा, **न्यायिक शिष्टाचार के अनुकूल होनी चाहिये**।
 - भाषा, **न्यायिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण उपकरण** है, जो कि **संवैधानिक मूल्यों** के प्रति संवेदनशील भी होती है।

भारत नरिवाचन आयोग(ECI)

परचिय:

- यह एक **स्वायत्त संवैधानिकि नकियाय** है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करने के लिए उत्तरदायी है।
- चुनाव आयोग की स्थापना **25 जनवरी, 1950 को संवधान के अनुसार** की गई थी। 25 जनवरी को **राष्ट्रीय मतदाता दविस** के रूप में मनाया जाता है।
- नरिवाचन आयोग का सचवालय नई दल्लिी में स्थति है।
- चुनाव आयोग भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य वधिनसभाओं, राष्ट्रपत और उपराष्ट्रपत के चुनाव की संपूरण प्रक्रिया का अधीक्षण, नरिदेशन और नरियंत्रण करता है।
 - इसका राज्यों में **पंचायतों और नगरपालिकाओं** के चुनावों से कोई संबंध नहीं है। भारत का संवधान में इसके लिये एक अलग **राज्य नरिवाचन आयोग** (State Election Commission) का प्रावधान है।

संवैधानिकि प्रावधान:

- भारतीय संवधान का **भाग XV (अनुच्छेद 324-329)**: यह चुनावों से संबंधति है, और यह इनसे संबंधति मामलों के लिये एक अलग **आयोग की** स्थापना करता है।

स्रोत: द हद्वि

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/media-has-right-to-report-court-proceeding-sc>

